भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3016
13 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियां

3016. श्री शफी परम्बिल:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रत्येक राज्य को राज्य-वार आवंटित/जारी निधियों की कुल राशि कितनी है;
(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य-वार जारी किए जाने हेतु लंबित निधि की कुल राशि कितनी है; और
(ग) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए लंबित निधि जारी करने में कोई विलंब हुआ है और यदि हां, तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उपलब्ध संसाधनों के अध्यधीन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्यों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संसाधन सीमा के साथ-साथ मौजूदा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। एनएचएम के तहत धनराशि जारी करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन होता है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार धनराशि अनुलग्नक में दी गई है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	37.84
2	आंध्र प्रदेश	1,096.01
3	अरुणाचल प्रदेश	404.55
4	असम	2,257.06
5	बिहार	2,032.95
6	चंडीगढ़	30.58
7	छत्तीसगढ़	875.80
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	39.92
9	दिल्ली	150.54
10	गोवा	48.97
11	गुजरात	1,506.96
12	हरियाणा	524.01
13	हिमाचल प्रदेश	470.36
14	जम्मू और कश्मीर	805.22
15	झारखंड	958.06
16	कर्नाटक	1,187.60
17	केरल	189.15
18	लद्दाख	120.44
19	लक्षद्वीप	3.79
20	मध्य प्रदेश	2,545.68
21	महाराष्ट्र	2,729.30
22	मणिपुर	169.12
23	मेघालय	261.39
24	मिजोरम	134.42
25	नागालैंड	184.84
26	ओडिशा	1,901.77
27	पुदुचेरी	30.80
28	पंजाब	91.49
29	राजस्थान	2,785.46
30	सिक्किम	68.17
31	तमिलनाडु	1,996.06
32	तेलंगाना	564.93
33	त्रिपुरा	264.31
34	उत्तर प्रदेश	4,928.14
35	उत्तराखंड	711.33
36	पश्चिम बंगाल	890.42

नोट:

1. उपरोक्त जारी धनराशि केन्द्र सरकार के अनुदान से संबंधित है तथा इसमें राज्य का अंशदान शामिल नहीं है।

******